संख्या-08/78 -आई0टी0-2-2001

प्रेषक,

ओ.एन.वैद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

आई0टी0एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 सितम्बर, 2001

विषय: कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का निर्धारण

महोदय,

शासनादेश सं0 1056/78-आई0टी0-2001/25आई0टी0-2001 दिनांक 01.08.2001 को समाहित करते हुए उसमें वर्णित कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया को निम्नवत् स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है:-

2 कम्प्यूटर क्रय करने के लिए संबंधित विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषदो, स्वायत्तशासी निकायों के पास निम्न तीन विकल्प होगें-

(क) वह क्रय प्रक्रिया अपने स्तर पर आयोजित करे
(ख) वह यूपीडेस्को, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन या निक्सी को क्रय आदेश दें।
(ग) वह संबंधित जिले के जिलाधिकारी को क्रय हेतु अधिकृत करें।

3 संबंधित पशासनिक विभाग द्वारा यदि शासन स्तर पर स्वयं कम्प्यूटर क्रय किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो विभागीय क्रय समिति निम्न प्रकार से होगी:-

1. प्रशासनिक विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव -अध्यक्ष
2. आई0टी0एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रतिनिधि
3. वित्त विभाग के प्रतिनिधि
4. यूपीडेस्को अथवा यू.पी.इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा नामित विशेषज्ञ
5. स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफीसर, एन.आई.सी. के प्रतिनिधि

4. यदि प्रशासनिक विभाग उचित समझे तो क्रय विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी कराया जा सकेगा। ऐसी दशा में क्रय समिति निम्नवत् होगी:-

1). विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष
2). विभाग के वित्त नियन्त्रक/ विभाग में वित्त एंव लेखा प्रभाग के प्रमुख
3). विभाग में कार्यरत राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ
4). यूपीडेस्को अथवा यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा नामित विशेषज्ञ
5). स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफीसर, एन.आई.सी. के प्रतिनिधि

5. राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन संगठनो यथा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषदो, स्वायत्तशासी निकायों द्वारा कम्प्यूटर क्रय स्वयं किये जाने की दशा में क्रय समिति निम्नवत् होगी:-

1) संबधित संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2) संगठन के वित्त एंव लेखा विभाग के प्रमुख
3) संगठन के तकनीकी प्रभाग के प्रमुख
4) संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित 2 वाह्य विशेषज्ञ
5) एन.आई.सी. के स्थानीय प्रतिनिधि

6. विभागों के शासन अथवा विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषदो, स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से संबंधित के जिलाधिकारियों को भी कम्प्यूटर क्रय हेतु अधिकृत किया जा सकता है। इस हेतु क्रय समिति निम्नवत् होगी:-

1. संबधित जिलाधिकारी अधिकारी -अध्यक्ष
2. संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी
3. संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (राजस्व विभाग के मामले में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अपर जिलाधिकारी)
4. जिले में तैनात कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी
5. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी.
6. वाहय तकनीकी विशेषज्ञ (जिलाधिकारी के विवेकानुसार)

यह जिलाधिकारी का विवेक होगा कि वह क्रय उपरोक्तानुसार समिति से करेंगें अथवा वे यूपीडेस्को, यू.पी.एल.सी. अथवा निक्सी को क्रय आदेश दे सकेंगें।

7. जिन मामलों में क्रय हेतु प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति जिला अथवा मण्डल स्तर पर दी जाती है, उनमें संबंधित जिला अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 को व्यवस्था के अनुसार कम्प्यूटर क्रय किया जा सकेगा। सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि एंव इनके अनुरूप अन्य निधियों के अर्न्तगत होने वाले कम्प्यूटर क्रय भी इस प्राविधान से आच्छादित होगें।

8. एक वर्ष में रू0 10.00 लाख तक की सीमा के कम्प्यूटर क्रय करने के लिये शासन के समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी/ अन्य शासकीय संगठन/जिलाधिकारी शासन के आई.टी. एंव इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अनुमोदित पैनल में कम से कम तीन आपूर्तिकर्ताओं जो कि अलग-अलग ओरिजनल एक्विपमेंट मैनुफक्चरर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि हो, से कोटेशन मांग कर क्रय आदेश जारी कर सकेंगें। शासन के आई.टी एंव इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा यथाशीघ्र उपरोक्तानुसार अनुमोदित पैनल सभी विभागों को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उसमें यथासमय यथावांछित संशोधन किये जाते रहेंगे।

9. कम्प्यूटर क्रय स्टोर परचेज रूल्स के सामान्य प्राविधानों व समय-समय पर जारी निविदा एंव अनुबन्ध प्रणाली से संबंधित सामान्य निर्देशों के अनुरूप तथा निम्नलिखित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा:-

(क) केवल ब्राण्डेड/ओरिजनल एक्विपमेंट मैनुफक्चरर अथवा उनके अधिकृत डीलर/विक्रेता से ही कम्प्यूटर क्रय किया जायेगा।

(ख) क्रय में सामान्यत: मात्रा अनुबन्ध हेतु शासकीय नियम लागू होगें। कम्प्यूटर क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण भी संबंधित क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।

(ग) कम्प्यूटर क्रय केवल खुली निविदा से किया जायेगा जो कि दो भागों में-टेक्निकल बिड व फाइनेन्सियल बिड होगी और यह दोनों अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेंगी। टेक्निकल बिड खुलने के बाद तकनीकी रूप से सक्षम पायी गई निविदाओं की फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी।

(घ) वांछित विशेषताओं एंव शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख टेण्डर डाकूमेन्ट में किया जायेगा और टेण्डर खुलने के बाद इनमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(ड.) फाइनेन्सियल बिड खुलने के बाद कोई निगोशियेशन नहीं किया जायेगा।

(च) टेण्डर प्रक्रिया एंव क्रय में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जायेगी।

(छ) यदि किसी कारण से आपूर्ति के स्त्रोत में टैक्स या डयूटी घटती है तो आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्य तद्नुसार घटाया जायेगा।

(ज) कम्प्यूटर क्रय हेतु एक मॉडल टेण्डर डाकूमेन्ट बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेब साइट www.upgov.up.nic.in/infotech पर डाला जा रहा है।

10. उक्त आदेश समस्त शासकीय विभागों, शासकीय संगठनो के द्वारा किसी भी वित्तीय स्त्रोत से किये गये क्रय पर लागू होगा। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

ह0/-
(ओ. एन. वैद)
प्रमुख सचिव

संख्या-08(1)/78 -आई0टी0-2-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव।
2 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव।
4 स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को अपर मुख्य सचिव एंव कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5 समस्त विभागाध्यक्ष ।
6 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदो एंव स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
7 समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
8 राजकीय मुद्राणालय, लखनऊ।
9 प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10 प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
11 प्रबन्ध निदेशक हिलट्रान, लखनऊ।
12 श्री एस.एफ.ए. नकवी, वेब कन्ट्रोलर, यू.पी. आनलाइन मदर पोर्टल, एन.आई.सी. लखनऊ।
13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
(अनुराग श्रीवास्तव)
विशेष सचिव